



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, मध्यप्रदेश

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh



क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./उत्तराखण्ड-04/2021-22

दिनांक:- 24.11.2021
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी

विषय:- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को दिनांक 01.07.2021 से मंहगाई राहत की स्वीकृति।

- संदर्भ:-
1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त पत्रांक पी.ए./पेंशन/मंहगाई राहत/उत्तराखण्ड/2021-22/1403 दिनांक 05.11.2021
 2. सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-7, संख्या 220/XXVII(7)/02/2016 दिनांक 24.09.2021

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त शासनादेशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर भुगतान करने की व्यवस्था करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय प्रधान महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.agmp.nic.in पर उपलब्ध है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./उत्तराखण्ड-04/2021-22

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून-248195 के पत्र दिनांक 05.11.2021 के संबंध में सूचनार्थ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

Sf 790 981 643

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135-2643683

21942

008812

भनाक-पी.ए./पेंशन/महंगाई सहित/उत्तराखण्ड/2021-22/1403

दिनांक- 05/11/2021

सेवा में,

	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलांग	793001
3	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	बालीयार	474002
8	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंबई	400020
10	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बेंगलुरु	560001
12	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा,	भुवनेश्वर	751001
13	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश,	शिमला	171003
16	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकाता	700001
19	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492117
24	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजार, नई दिल्ली	नई दिल्ली	-	110124
27	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)	पाँडीचेरी	पाँडीचेरी	605001
29	वरिष्ठ निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500004
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

PA

इमोट

DD-55

22-11-2021

पंजीकृत

16 NOV 2021

महालेखाकार

महाराष्ट्र

क. य. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखंड
“महालेखाकार भवन” कौलागढ, देहरादून - 248195

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/ 2021-22/1403

दिनांक: 05/11/2021

“विशेष मुद्रा प्राधिकार”

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कार्यालय

विषय:- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/ पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

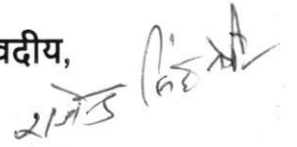
संलग्न संदर्भ:- अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग - 7, संख्या:- 220/XXVII
(7)02/2016 दिनांक: 24.09.2021

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,



वरिष्ठ लेखाधिकारी/ पेंशन

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7
संख्या-222/XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक: 24 सितम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- 222/XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 24 September, 2021

Office Memorandum

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-382/XXVII(7)02/2016 दिनांक 05 नवम्बर, 2019 द्वारा स्वीकृत मंहगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01-07-2021 से 164 प्रतिशत के स्थान पर 189 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-07-2021 @ 189% instead of 164% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 382/XXVII(7)02/2016 Dated 05 November, 2019 for those pensioners whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. दिनांक 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 30 जून, 2021 तक की अवधि में मंहगाई राहत की दर मूल पेंशन/मूल पारिवारिक पेंशन की 164 प्रतिशत ही रहेगी।

2. For the period from January 01, 2020 to June 30, 2021, the rate of dearness relief will remain 164 percent of the basic pension/basic family pension.

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

4. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

6. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

(Manisha Panwar)
Additional Chief Secretary.

संख्या- 222 (1)/XXVII(7)02/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियों उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियों मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

No 222(1)/XXVII(7)02/2016, the dated.

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- Accountant General Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 2- All Additional Chief Secretaryies / Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 3- Principal Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
- 4- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- 5- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
- 6- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand .
- 7- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand .
- 8- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- 9- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand.
- 10- Director, NIC Dehradun.

By Order,

(Ganga Prasad)
Additional Secretary.